पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
चिकित्सा निदेशक
ल0ना0मि0रेलवे चिकित्सालय
गोरखपुर

सं0 ईएच/227/1/सीएमपी/इगेजमेन्ट

दिनॉक 05-10-2018

डाक्टरों के इंगेजमेन्ट हेतु वाक–इन इन्टरव्यू

ललित नारायण मिश्र रेलवे चिकित्सालय, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर में एक वर्ष की अवधि तक के लिए संविदा (कान्ट्रैक्ट) के आधार पर पूर्णकालिक मेडिकल प्रेक्टिशनरों (सी0एम0पी0) विशेषज्ञ/सामान्य डयूटी डाक्टरों की नियुक्ति हेतु विस्तृत विवरण निम्नवत है:-

क0सं0	पद(विशेषज्ञ)/सामान्य डयूटी डाक्टर	पदों की संख्या	योग्यता
01	सामान्य सर्जन	02	जनरल सर्जरी में पी0जी0 डिग्री
02	ई0एन0टी0सर्जन	01	पी0जी0डिग्री/डिप्लोमा इन ई0एन0टी0
03	सामान्य फिजीशियन	01	जनरल मेडिसिन में पी0जी0 डिग्री
04	जी0डी0एम0ओ0	05	एम0बी0बी0एस0

आरक्षण – अ0जा0 – **01** अ0ज0जा – **01** ओ0बी0सी0 – **02** सामान्य – **05**

वाक इन इन्टरव्यू का स्थान – ललित नारायण मिश्र रेलवे चिकित्सालय/गोरखपुर (उत्तर प्रदेश),

दिनांक तथा समय दिनांक **25–10–2018** समय **10.30** पूर्वाह्न ।

अभ्यर्थी निर्धारित तिथि, समय एवं स्थल पर पूर्वान्ह 10.30 बजे तक निर्धारित एवं संलग्न प्रोफार्मा पर अपना आवेदन पत्र एवं सभी वॉछित प्रपत्रों की सत्यापित प्रतिलिपियों के साथ दो प्रतियों में अवश्य जमा कर दें।

मासिक पारिश्रमिक –(1) नियुक्त किये गये सी0एम0पी0(जी0डी0एम0ओ0) हेतु 75000/– प्रतिमाह तथा सी0एम0पी0(विशेषज्ञ चिकित्सक) प्रथम वर्ष 95000/–व द्वितीय वर्ष 105000/– प्रतिमाह की दर से मानदेय देय होगा । उक्त के अतिरिक्त यदि रेलवे आवास उपलब्ध कराया जाता है तो आवास किराया भत्ता की राशि के बराबर तथा आवास के लाइसेंस शुल्क की कटौती कर ली जाएगी।

(2) रेलवे /केन्द्रीय/प्रान्तीय सेवा निवृत्त चिकित्सकों को मासिक प्रारिश्रमिक इस आधार पर देय होगा कि उनको प्रदान किया जा रहा पारिश्रमिक और उनको मिल रही पेंशन का योग किसी भी स्थिति में उनको दिये गये अंतिम मूल वेतन से अधिक न हो।

आयु–(1) अभ्यर्थी दिनांक **01.01.2019** को **53** वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए फिर भी अ0जा/अजजा के अभ्यर्थियों को **05** वर्ष एवं ओ0बी0सी अभ्यर्थियों को **03** वर्ष आयु में छूट दी जाएगी।

(2) सेवा निवृत्त रेल एवं प्रान्तीय मेडिकल सेवा के डाक्टरो की सेवाकाल की अवधि अधिकतम आयु सीमा **67** वर्ष होगी, और अन्य के लिये यह **65** वर्ष होगी।

चिकित्सकों को संविदा के आधार पर उनकी ज्वाइनिंग की तिथि से **01** वर्ष के लिए इंगेज किया जायेगा तथा कार्य रिपोर्ट (Working report) सन्तुष्ट होने पर ही आगे रीइंगेज नियमानुसार किया जायेगा। कार्य (परफोरमेन्स) सन्तुष्ट नही होने की स्थिति में **15** दिन की एक पक्षीय नोटिस दे कर सेवा समाप्त की जा सकती है और यदि परिस्थितियां ऐसी बनती है, तो 15 दिनों की सूचना अवधि के बदले में पारिश्रमिक भुगतान करके तत्काल प्रभाव से चिकित्सकों की संविदा को समाप्त करने का रेल प्रशासन को पूर्ण रुप से स्वतंत्रता होगी। संविदा चिकित्सकों के रुप में की गयी सेवायें एक अस्थायी व्यवस्था है तथा संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियमित चयनित अभ्यर्थियों की उपलब्धता पर सेवायें समाप्त कर दी जायेंगी। संविदा के आधार पर इंगेज डाक्टरों को नियमितीकरण अथवा स्थायी रुप से समाहित करने का कोई भी प्रावधान नही है।

02–निजी प्रेक्टिस करने की अनुमति नहीं होगी।

03–संविदा चिकित्सक अधिकार के रुप में रेलवे आवास पाने के लिए अधिकृत नहीं होगें फिर भी यदि रेल आवास उपलब्ध है तो सक्षम प्राधिकारी के आदेश पर उन्हें आवास निर्धारित दरों के भुगतान पर ही दिया जायेगा।

इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र निर्धारित एवं संलग्न प्रारुप पर भरकर सत्यापित दस्तावेजों के साथ लायें। इस साक्षात्कार के लिए कोई टी0ए0/डी0ए0 देय नहीं होगा।

टिप्पणी –

01–चयनित अभ्यर्थियों को इंगेज करने का प्रस्ताव रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर दिया जाएगा। प्रशासन को यह अधिकार होगा कि प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार वह पदस्थापना के स्थान को परिवर्तित भी कर सकता है । सी0एम0पी0 (विशेषज्ञ चिकित्सकों) को अपने विशिष्ट कार्य के साथ प्रशासन की आवश्यकता के अनुसार सामान्य डयूटी भी करनी होगी।

02–यदि स्पेशलिस्ट उपलब्ध नहीं होते हैं तो उपरोक्त स्पेशलिस्ट पदों को सामान्य मेडिकल प्रेक्टिशनरों के द्वारा भरा जाएगा।

03–विज्ञापित रिक्तियों का स्थान आवश्यकतानुसार परिवर्तनीय हो सकता है।

04–उपरोक्त सूचना पूर्वोत्तर रेलवे के वेबसाईट **www.ner.indianrailways.gov.in** पर उपलब्ध है।

5.10.18

(डा0 संजय श्रीवास्तव)
मुख्य आर्थो सर्जन/प्रशासन
कृते चिकित्सा निदेशक
ल0ना0मि0रेलवे चिकित्सालय/गोरखपुर

Scanned by CamScanner

पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
चिकित्सा निदेशक
ल०ना०मि०रेलवे चिकित्सालय
गोरखपुर

No EH/227/1/CMP/Engagement

Date 05-10-2018

NOTICE FOR WALK – IN - INTERVIEW FOR ENGAGEMENT OF DOCTORS

Applications are invited from the Doctors of open market , Retired Government Medical Officers of State Government / Central Government/IRMS officers (Railway) for engagement as full time Contract Medical Practitioners(CMP) Specialist/General Duty doctors on contract basis for a period of one year from the date of joining as per details given below-

SL.NO.	Specialty	No. of.Post	Qualification
1-	General Surgeon	02	P.G.Degree in Gen.Surgery
2-	ENT	01	P.G.Degree/Diploma in ENT
3-	Physician	01	P.G.Degree in Medicine
4-	GDMO	05	M.B.B.S.
	Total	09	

Reservation : SC- 01 ST- 01 OBC - 02 UR- 05

Place for Interview: Lalit Narayan Mishra Railway Hospital, Gorakhpur (UP).

Date & Time **Date 25 -10-2018 Time 10.30 A.M.**

Candidate must submit their application in duplicate copies on the prescribed & enclosed Proforma latest by **10-30** a.m. on the date of Walk-in-Interview, along with two sets of attested photocopies of required documents.

Monthly Renumeration :

(1) Engaged CMP (GDMO) –Rs. 75000/- and CMP (Specialist Doctor) Rs. 95000/-(first year),Rs. 105000/- second year per month, fixed. If railway accommodation is provided to them, then an amount equivalent to house rent allowance and licence fee of railway accommodation shall be deducted.

(2) For Retired Railway Doctor/Central or State Govt. Doctors, renumeration paid per month shall be subject to the condition that remuneration + Pension drawn by retired Doctor would not exceed the last basic pay drawn.

Age : **(1)** Candidates should be less then **53** years as on 01-1-2019 .Age relaxation is admissible for 5 year for SC/ST and 3 years for OBC candidates.

(2) Retired Railway Doctor and PMS (Provincial Medical Service) Doctors could continue upto the age of **67** Yrs, while others would continue upto **65** yrs.

The engagement of doctors would be on contract basis for a period of **one** year from the date of joining. Further, their services will be extended as per extant rules if their services are found satisfactory. If their services are not found satisfactory, Railway Administration will be at liberty to terminate the contract of the doctor with immediate effect by paying Remuneration in lieu of **15** days notice period, if the circumstances warrant so. The services rendered as contract doctors is a stop gap arrangement and will not have any bearing in respect of consideration of their period in case of regular selection through U.P.S.C.. It will also not confer any right for regularization or permanent absorption.

02- No private practice is allowed.

03- The contract doctors shall not be entitled for quarter etc. as a matter of right, though if railway quarter is vacant,it may be allotted to them as per extant rules and payment.

The willing candidates should bring the application form with document (attested) duly completed on the format. No TA/DA is admissible for this engagement.

Note : 01- The Offer of engagement to the selected candidates shall be issued subject to the availability of vacancy. Administration has the right to change the place of posting as per administration need. CMP (Specialist Doctors) shall also have to carry out general duties as and when required by administration besides their specialty work.

02- If no suitable specialist is found for the post, the post will be filled up by General Duty Medical Practitioners.

03- The place of notified vacancies may be changed as per requirement.

04- The notification can be downloaded from N.E.Railway website www.ner.indianrailway.gov.in

(Dr. Sanjay Srivastava)
Chief Ortho.Surgeon/Adm.
for Medical Director
L.N.M.Railway Hospital/GORAKHPUR

Scanned by CamScanner